14.12.2025

छत्तीसगढ़ विधान सभा

नवम्बर–दिसम्बर, 2025 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 (अग्रहायण 24,1947)

समय 11:00 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

श्री शिवराज पाटिल, लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष।

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002) की धारा 11 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक आयोग का तेईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024–2025 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह), कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का बारहवाँ वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2022–2023 पटल पर रखेंगे।

(3) श्री ओ. पी. चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15–क की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ.एन. जैनकोर/2228/2025–कॉमटैक्स सेक्शन (51), दिनांक 17 जुलाई, 2025 पटल पर रखेंगे।

(4) श्री ओ.पी. चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 86 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक पी.यू.बी.आर./391/2025–हाऊसिंग, दिनांक 07 नवम्बर,2025 पटल पर रखेंगे।

(5) श्री ओ.पी. चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांकः–

(i) एफ–07–23/2023/32, दिनांक 17 अक्टूबर,2025

(ii) रूल/170/2025–हाऊसिंग, दिनांक 23 अक्टूबर,2025 तथा

(iii) रूल/170/2025–हाऊसिंग, दिनांक 26 नवम्बर,2025 पटल पर रखेंगे।

क्रमशः 2

(6) श्री रामविचार नेताम, अनुसूचित जाति विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024) पटल पर रखेंगे।

(7) श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित की अंकेक्षण टीप एवं वित्तीय पत्रक (वर्ष 2024–25) पटल पर रखेंगे।

(8) श्री श्याम बिहारी जायसवाल, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 26 सन् 1995) की धारा 15 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अठारहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024–2025 (01 अप्रैल,2024 से 31 मार्च,2025 तक) पटल पर रखेंगे।

(9) श्री टंकराम वर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 42 के अधीन अधिसूचित छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005 के नियम 22 एवं नियम 23 के उपनियम (घ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2024–25 पटल पर रखेंगे।

(10) श्री टंकराम वर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार –

(i) संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024–2025 (1 जुलाई,2024 से 30 जून, 2025) तथा

(ii) पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का 61 वाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024–2025 (1 जुलाई,2024 से 30 जून, 2025) पटल पर रखेंगे।

(11) श्री टंकराम वर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024–25 (1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025) पटल पर रखेंगे।

4. जुलाई, 2025 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

5. नियम 267–क के अधीन जुलाई, 2025 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

6. राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

क्रमशः 3

7. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री विक्रम मंडावी, सदस्य, बस्तर संभाग में भू–माफियाओं द्वारा आदिवासियों की जमीन खरीदी बिक्री किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते, सदस्य, छत्तीसगढ़ में हेल्थ इंश्योरेंस कम्पनियों एवं निजी अस्पतालों द्वारा क्लेम सेटलमेंट तथा कैशलेस सुविधा में अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

8. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

(1) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक– 09, लुण्ड्रा के सदस्य, श्री प्रबोध मिंज को नवम्बर–दिसम्बर, 2025 सत्र में सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा।

(2) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक– 03, बैकुण्ठपुर के सदस्य, श्री भईयालाल राजवाड़े को नवम्बर–दिसम्बर, 2025 सत्र में सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा।

9. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री अमर अग्रवाल, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सोलहवां, सत्रहवां, अट्ठाहरवां, उन्नीसवां, बीसवां, इक्कीसवां, बाईसवां, तेईसवां, चौबीसवां, पच्चीसवां, छब्बीसवां, सत्ताईसवां, अट्ठाईसवां एवं उन्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(2) श्री धर्मजीत सिंह, सभापति, याचिका समिति का द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य, गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत–

- (i) ग्राम टटेंगा से कसही पहुंच मार्ग पर पुल निर्माण करने,
- (ii) ग्राम पाउवारा (तिलोदा) में तांदुला मुख्य नहर से उद्वहन सिंचाई योजना प्रारंभ करने,
- (iii) ग्राम डुण्डेरा के हायर सेकेण्डरी स्कूल में कृषि संकाय प्रारंभ करने,

(2) श्रीमती भावना बोहरा, सदस्य, पंडरिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत–

- (i) पंडरिया में बी.एड. महाविद्यालय खोलने,
- (ii) ग्राम पोलमी में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण करने,
- (iii) ग्राम बोहिल में प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने,
- (iv) ग्राम जंगलपुर में माध्यमिक शाला भवन निर्माण करने,
- (v) ग्राम पेंड्रीकला में प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने,
- (vi) ग्राम तिलईभाठ के प्राथमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण करने,
- (vii) ग्राम पौनी के प्राथमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण करने,
- (viii) ग्राम आमाटोला के प्राथमिक शाला को पुनः संचालित करने,

क्रमशः 4

(ix) ग्राम लिटीपुर के मरघट्टी नाले पर पुलिया निर्माण करने,

(x) ग्राम झिरौनी में डामरीकृत सड़क निर्माण करने,

(xi) ग्राम पेंड्रा से बाघामुड़ा तक डामरीकृत सड़क निर्माण करने तथा

(xii) ग्राम सुरजपुरा (ह.) से हरदी तक डामरीकृत सड़क निर्माण करने **के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।**

11. स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिये वित्तीय वर्ष 2025–2026 की शेष अवधि हेतु एक सदस्य का निर्वाचन

श्री ओ. पी. चौधरी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

''सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 177 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2025–2026 की शेष अवधि के लिये स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति में रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति हेतु एक सदस्य के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।''

12. वित्तीय वर्ष 2025–2026 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री, वित्तीय वर्ष 2025–2026 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर,
दिनांक 14 दिसम्बर, 2025